लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ

दिनांक 28 नवम्बर, 2019 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक संख्या 5/2019 की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री शैलेश कुमार शुक्ल, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो0 एस0 के0 शुक्ला, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	–	सदस्य
3. डॉ0 प्रकाश चन्द्र सक्सेना, अधिष्ठाता, आर्युवेद संकाय	–	सदस्य
4. प्रो0 पद्म कान्त	–	सदस्य
5. प्रो0 एस0के0 जायसवाल	–	सदस्य
6. प्रो0 बृजेन्द्र सिंह	–	सदस्य
7. प्रो0 प्रवीन नागर	–	सदस्य
8. प्रो0 एम0 एम0 वर्मा	–	सदस्य
9. डॉ0 अर्चना मिश्रा नी तिवारी	–	सदस्य
10. डॉ0 अशोक कुमार सोनकर	–	सदस्य
11. डॉ0 मो0 तकी अली आब्दी	–	सदस्य
12. डॉ0 आराधना पाण्डेय	–	सदस्य
13. डॉ विनीता प्रकाश	–	सदस्य
14. प्रो0 एस0के0 द्विवेदी	–	सदस्य
15. श्री अनिल सिंह	–	सदस्य
16. डॉ0 एस0बी0गुप्ता	–	सदस्य
17. माननीय जस्टिस श्री वी0के0 दीक्षित (से0नि0)	–	सदस्य
18. श्री विद्यानन्द त्रिपाठी, प्रभारी कुल सचिव	–	पदेन सचिव

बैठक में श्री संजय श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ भी उपस्थित रहें।

बैठक के आरम्भ में माननीय कार्य परिषद सदस्यों ने नव नियुक्त कुलपति श्री शैलेश कुमार शुक्ल का माल्यार्पण कर करतल ध्वनि से स्वागत किया। तत्पश्चात अध्यक्ष, कार्य परिषद द्वारा सभी मा0 सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक में प्रतिभाग करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया तथा कार्य परिषद की बैठकों में लिए गए निर्णयों को पूर्ण रूपेण लागू करने के लिए आश्वस्त किया तथा यह भी कहा कि अधिनियम के प्राविधानानुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ही विश्वविद्यालय की प्रधान अधिशासी निकाय है तथा विश्वविद्यालय का संचालन करती है। अध्यक्ष ने कार्य परिषद को आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय का संचालन कार्य परिषद के मार्गदर्शन तथा कार्य परिषद से निर्णय प्राप्त कर ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा दिनांक 11.11.2019 को कुलपति के पद पर कार्य–भार ग्रहण करने के पश्चात विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यो में सुधार हेतु किए गए परिवर्तनों/प्रयासों/कार्यवाही से कार्यपरिषद के माननीय सदस्यों को अवगत भी कराया, जिस पर कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय हित में प्रारम्भ किए गये प्रयासों हेतु सराहना की एवं कुलपति के सकारात्मक कार्यो में पूरा सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया। बैठक आरम्भ होने से पूर्व, मा0 सदस्य कार्य परिषद प्रो0 एस0 के0 द्विवेदी एवं श्री अनिल सिंह द्वारा बैठक की कार्य सूची निर्धारित समयान्तर्गत कार्य परिषद सदस्यों को प्राप्त होने के लिये अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात अध्यक्ष, कार्य परिषद/कुलपति द्वारा कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही कार्यसूची के अनुसार संचालित की गई।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 01:— कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.08.2019 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 01.10.2019 की कार्यवाही की पुष्टि करने पर विचार कर निर्णय लेना।

कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 20.08.2019 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 01.10.2019 के कार्यवृत्त में अंकित निर्णयों पर सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 02:— कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.08.2019 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 01.10.2019 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त करना।

कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 20.08.2019 में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण अवलोकित करते हुए को निम्नलिखित संशोधन/चर्चा के साथ स्वीकार किया :—

- **विनिश्चय संख्या 02 (खण्ड–1) पर कार्य परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.04.2019 के विनिश्चय संख्या 19 (अ) पर शिक्षकों की वेतन विसंगतियों तथा एक वेतन वृद्वि की देयता के प्रकरण मे अद्यतन समिति की रिपोर्ट/अभिमत प्रस्तुत नहीं होने पर कार्य परिषद के द्वारा आपत्ति की गई तथा निर्देशित किया कि समिति का अध्यक्ष, मा0 सदस्य कार्यपरिषद प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ला को बनाया जाय एवं इनकी अध्यक्षता में पूर्व से गठित समिति की एक बैठकर कराकर प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट/आख्या प्राप्त कर उसे आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत कराये जाने का निर्णय लिया गया। समिति के सदस्य पूर्व निर्यणानुसार ही रहेंगे।**
- **विनिश्चय संख्या 02 (खण्ड–2) पर माननीय सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय डिस्पेन्सरी में मेडिकल आफिसर के रिक्त पदों के विज्ञापन के संबंध में कार्यवाही न किये जाने का कारण पूछा, जिस पर अध्यक्ष, कार्य परिषद द्वारा डिस्पेन्सरी में रिक्त पदों के संबंध में अद्यतन की गयी कार्यवाही से सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिषद कार्यवाही से सहमत हुई।**
- **तदोपरान्त मा0 सदस्यों द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.08.2019 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 01.10.2019 की कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए कार्य परिषद के निर्णयों का समयान्तर्गत अनुपालन नहीं होने पर आपत्ति व्यक्त की गयी जिस पर कुलपति/अध्यक्ष ने भविष्य में कार्य परिषद के निर्णयों को समयान्तगत अनुपालन किये जाने हेतु परिषद को आश्वस्त किया गया तत्पश्चात कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन प्रदान किया।**

मद संख्या 03:— लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की दिनांक 30.10.2019, ओरियण्टल स्टडीज इन अरेबिक एण्ड परसियन विभाग की दिनांक 24.10.2019 एवं गणित एवं खगोल शास्त्र विभाग की दिनांक 26.10.2019 को सम्पन्न चयन समितियों की बैठकों की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफो को खोले जाने के सम्बन्ध में विचार करना तथा निर्णय लेना।

Scanned by CamScanner

लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु दिनांक 30.10.2019, ओरियण्टल स्टडीज इन अरेबिक एण्ड परसियन विभाग की दिनांक 24.10.2019 एवं गणित एवं खगोल शास्त्र विभाग के शिक्षकों की पदोन्नति हेतु दिनांक 26.10.2019 को सम्पन्न चयन समितियों की बैठकों की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफो को खोले जाने सम्बन्धी प्रकरण पर चर्चोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त चयन समितियॉ तत्कालीन कुलपति प्रो0 एस0पी0 सिंह द्वारा अपने कार्यकाल के अन्तिम पक्ष में आयोजित की गयीं तथा कार्यकाल समाप्ति के लगभग एक पक्ष पूर्व चयन समितियॉ आयोजित करने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदया से भी कोई अनुमति प्राप्त नहीं किए जाने के कारण इस मद से प्रस्तुत चयन समितियों के लिफाफे माननीय कुलाधिपति महोदया को पूर्ण स्थिति के साथ सन्दर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 04:– उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या:1190/सत्तर–1–2019–16(114)/2010 उच्च शिक्षा अनुभाग–1 दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्च शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 के सम्बन्धी विनियम, 2018 के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

शासन द्वारा बनाये गये नवीन परिनियमयों से कार्य परिषद अवगत हुई तथा उन्हें यथास्थान लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में समाहित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 05:– श्री राज गौरव वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था 18.05 के अनुसार जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू में की गयी नियमित सेवायें दिनांक 12.11.2013 से 28.07.2016 तक (दिनांक 12.11.2013) को लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा के साथ आगणित किये जाने एवं वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश में किये गये प्राविधानों के आलोक में प्रकरण शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के संबंध में प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा श्री राज गौरव वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू में दिनांक 12.11.2013 से 28.07.2016 तक की गयी नियमित सेवाओं को लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा के साथ आगणित किये जाने के प्रस्तुत प्रस्ताव एवं वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश में किये गये प्राविधानों के आलोक में प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने की स्वीकृति के साथ अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 06:– माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत पत्र संख्या एम/22633 दिनांक 24.09.2019 जो श्रीमती रश्मि शुक्ला, भारतीय पुलिस सेवा, अपर पुलिस महासंचालक एवं आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुम्बई के अनुरोध पर अपने पति स्व0 श्री

Scanned by CamScanner

उदय शंकर शुक्ला स्वर्ण पदक एवं सम्मान पत्र'' जो स्नातक परीक्षा में गणित विषय में विश्वविद्यालय के संकायों (कला एवं विज्ञान) में सर्वाधिक अंक लाने वाले छात्र/छात्रा को प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्पन्न दीक्षान्त समारोह 15 अक्टूबर 2019 में प्रदान किए जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति के उपरान्त प्रकरण कार्य परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद ने कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्णय लिया कि श्रीमती रश्मि शुक्ला, अपर पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र को उनके द्वारा कृत उक्त पुनीत कार्य हेतु धन्यवाद प्रेषित किया जाय।

मद संख्या 07:– माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत पत्र टी/21900–03 दिनांक 16.09.2019 जो डा0 भूपेश चन्द्र लिटिल, असिस्टेंट प्रोफेसर व्यवहारिक आर्ट विभाग, ललित कला संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 15.19 में वर्णित व्यवस्था के अर्न्तगत मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में व्यवहारिक आर्ट विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य–भार ग्रहण करने हेतु अवैतनिक असाधारण की स्वीकृति कार्यपरिषद की कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान की प्रत्याशा में प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद ने प्रस्तावानुसार प्रस्तुत कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 08:– श्रीमती प्रीति सोनकर, पुत्री जगदीश सोनकर, ग्राम–बस्तीखास (पचपेडिया) जिला बस्ती को राजकीय पालीटेक्निक कालेज, कानपुर में प्रवक्ता, विद्युत अभियंत्रण के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इंजीनियरिंग स्ववित्तपोषित संकाय के सहायक आचार्य (संविदा) के पद से दिनांक 31.08.2019 अपरान्ह् से कार्यमुक्त किये जाने हेतु कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्गत कार्यालय आदेश संख्याः टी/21600–02 दिनांक 31.08.2019 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद ने प्रस्तावानुसार प्रस्तुत कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 09:– मृतक आश्रित नियमावली 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत कार्यालय आदेश संख्या पी/7881–95 दिनांक 27.04.2019 द्वारा स्व0 किशन चन्द्र की असामयिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित श्री कमल किशोर कश्यप की नियुक्ति कुलानुशासक कार्यालय में सुरक्षा प्रहरी के पद पर की गयी थी तद्क्रम में श्री कमल किशोर कश्यप द्वारा सुरक्षा प्रहरी के स्थान पर परिचर के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु किये गये निवेदन पर मा0 कुलपति के अनुमोदनोपरान्त श्री कमल किशोर कश्यप की सुरक्षा प्रहरी के स्थान परिचर पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत कार्यालय आदेश संख्या पी/21802–हेतु निर्गत कार्यालय आदेश संख्या पी/21802–09 दिनांक 13.09.2019 परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद ने प्रस्तावानुसार प्रस्तुत कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 10:– डॉ0 एस0ए0 रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, ल0वि0वि0 को दिनांक 01.10.2019 से एक वर्ष का अर्द्धवेतन अवकाश (Half Pay Leave) स्वीकृत करने के संबंध में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या आदेश संख्या पी/21802–09 दिनांक 13.09.2019 परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद द्वारा डॉ0 एस0ए0 रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, ल0वि0वि0 को दिनांक 01.10.2019 से एक वर्ष का अर्द्धवेतन अवकाश (Half Pay Leave) स्वीकृत करने के संबंध में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या टी/21802–09 दिनांक 13.09.2019 में निर्णय का अनुमोदन किया।

मद संख्या 11:– श्री आदित्य अग्रवाल (सी0एस0) इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेकेट्रीज ऑफ इण्डिया 1/157 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा विश्वविद्यालय में ICSI SIGNATURE GOLD MEDAL स्थापित किये जाने के संबंध में किये गये निवेदन पर कुलपति महोदय की स्वीकृत पर गोल्ड मेडल स्थापित किये जाने हेतु रू0 05 लाख का विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के नाम देय ड्राफ्ट एवं उपरोक्त गोल्ड मेडल का Ordinance उपलब्ध कराने के संबंध में निर्गत पत्र संख्याः जी0ए0/23378–83 दिनांक 01.10.2019 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद ने मद में अंकित मेडल स्थापना के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्याः जी0ए0/23378–83 दिनांक 01.10.2019 का अवलोकन किया तथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु कार्य परिषद ने निर्देशित किया एवं तद्नुसार निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

मद संख्या 12:– श्री संतोष कुमार शास्त्री के प्रत्यावेदन पर विश्वविद्यालय अधिवक्ता की विधिक राय माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रकरण में विश्वविद्यालय अधिवक्ता की राय से कार्य परिषद अवगत हुई। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, कार्य परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में इस प्रकार के समान प्रकरणों पर सम्बन्धित व्यक्तियों को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भुगतान किया जा चुका है। अतः सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समानता के आधार पर श्री संतोष कुमार शास्त्री के प्रकरण में भी पूर्व की भॉति भुगतान किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाय।

मद संख्या 13:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो डा0 कविता चतुर्वेदी के प्रकरण पर मा0 कुलाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 23.07.2019 एवं डॉ0 प्रशान्त पाण्डेय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्याः 21429/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2019 के अनुपालन हेतु कुलपति महोदय के आदेश पर प्रकरण कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.08.2019 के विनिश्चय संख्या 18 पर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त डॉ0 पाण्डेय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्याः 21429/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक

Scanned by CamScanner

06.08.2019 के अनुपालन से पूर्व प्रकरण पर माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रत्युष कुमार से प्राप्त विधिक अभिमत/राय कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद ने प्रकरण पर चर्चा की।

मद संख्या 14:– परिषद द्वारा अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या ई–4661/5–जी0एस0/2018–VII दिनांक 01.08.2019 के क्रम में श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी के द्वारा तत्कालीन कार्य अधीक्षक प्रो0 डी0पी0 तिवारी को जमा कराई गयी सुरक्षा धनराशि रू0 24,5000/– में से रू0 20,5000/– मात्र वापस न किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र के प्रकरण पर जॉच हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या के आलोक में प्रकरण पर अनुशासनिक समिति के गठन अथवा कार्य परिषद की स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण में आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग से जॉच कराये की संस्तुति शासन किये जाने के संबंध में प्रकरण कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद ने प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए प्राप्त सी0डी0 की जॉच विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ से कराने एवं प्राप्त जॉच आख्या को कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 15:– मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद पी0आई0एल0 सिविल संख्याः–19390 आफ 2018 कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

अध्यक्ष, कार्य परिषद द्वारा सदन को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वंय योजित पी0आई0एल0 सिविल संख्याः–19390 आफ 2018 (लखनऊ विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 के संक्षिप्त सारांश से सदन को अवगत कराया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय हित में कई योजनायें इसमे निहित है जिनका अनुपालन किया जाना विश्वविद्यालय हित में विधिक रूप से आवश्यक है। अध्यक्ष, कार्य परिषद ने सदन को यह भी सूचित किया कि माननीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.02.2019 में निहित योजना शासन द्वारा विषयगत प्रकरणों में योजना निर्धारित किए जाने तक लागू रहेगी। सदन द्वारा योजनाओं की सराहना करते हुए उक्त कार्ययोजना का अनुपालन किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 16:– नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ में सत्र 2000 से संचालित एम0ए0 हिन्दी (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत) की अनुमति प्रदान की गयी थी, किन्तु प्रवेश कम होने के कारण प्रबन्ध समिति द्वारा उक्त सहयुक्तता समाप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्य परिषद के नियर्णयानुसार रू0 एक लाख के अर्थदण्ड के साथ अन्य महाविद्यालयों की सहयुक्तता समाप्त करने का निर्णय पूर्व में लिया गया है और अर्थदण्ड जमा किये जाने के उपरान्त ही एफडीआर अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः नवयुग कन्या महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित एम0ए0 हिन्दी पाठ्यक्रम की सहयुक्ता कार्य परिषद के उपरोक्त निर्णय के अधीन समाप्त किये जाने हेतु प्रकरण कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

Scheduled

Scanned by CamScanner

कार्य परिषद के निणर्यानुसार रू0 एक लाख के अर्थदण्ड के साथ अन्य महाविद्यालयों की सहयुक्तता समाप्त करने का निर्णय पूर्व में लिया गया है और अर्थदण्ड जमा किये जाने के उपरान्त ही एफडीआर अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा नवयुग कन्या महाविद्यालय राजेन्द्र नगर, लखनऊ को रू0 एक लाख अर्थदण्ड जमा करने के पश्चात ही एफ0डी0आर0 अवमुक्त करने की शर्तो के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित एम0ए0 हिन्दी पाठ्यक्रम की सहयुक्ता समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 17:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो नगर आयुक्त/प्रबन्धक नगर निगम द्वारा यह सूचित किया गया है कि अटल जी की प्रथम पुण्य तिथि दिनांक 16.08.2019 को उनकी स्मृति में नगर निगम द्वारा संचालित महाविद्यालय "नगर निगम डिग्री कालेज" का नामकरण "अटल बिहारी बाजपेयी नगर निगम डिग्री कालेज" किया गया है। तत्क्रम में महाविद्यालय की भूमि व बैंक आदि के अभिलेखों में तद्नुसार नाम परिवर्तन करने की शर्तो की अधीन नगर निगम के प्रस्तावानुसार "नगर निगम डिग्री कालेज" का नाम परिवर्तित कर "अटल बिहारी बाजपेयी नगर निगम डिग्री कालेज" किये जाने हेतु सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

नगर आयुक्त/प्रबन्धक नगर निगम डिग्री कालेज द्वारा अटल जी की प्रथम पुण्य तिथि पर उनकी स्मृति में नगर निगम द्वारा संचालित महाविद्यालय "नगर निगम डिग्री कालेज" का नामकरण "अटल बिहारी बाजपेयी नगर निगम डिग्री कालेज" किये जाने तथा तत्क्रम में महाविद्यालय की भूमि व बैंक आदि के अभिलेखों में तद्नुसार नाम परिवर्तन करने की शर्तो की अधीन नगर निगम के प्रस्तावानुसार "नगर निगम डिग्री कालेज" का नाम परिवर्तित कर "अटल बिहारी बाजपेयी नगर निगम डिग्री कालेज" किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 18:– लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सत्र 2019–20 से एम0ए0 अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की सहयुक्तता के संबंध में निरीक्षक मण्डल की आख्या दिनांक 25.09.2019 में संस्तुति की गयी है कि "स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की स्थायी सहयुक्तता हेतु संस्तुत। स्थायी सहयुक्तता इस शर्त के साथ दी जाए की दो अन्य अध्यापकों (सहायक प्रोफेसर) की भी नियुक्ति कर ली जाए जिससे वर्तमान के दो एवं नए दो शिक्षक नियुक्ति होने पर मानक पूरा हो सके।"निरीक्षक मण्डल की उपरोक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ को एम0ए0 अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की सहयुक्तता सत्र 2019–20 से उक्त शर्त की अधीन प्रदान किये जाने संबंधी प्रकरण परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय निरीक्षक मण्डल की आख्या दिनांक 25.09.2019 में दी गयी शर्तो के अधीन पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ को एम0ए0 अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की सहयुक्तता मात्र सत्र 2019–20 के लिए किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 19:– समाज शास्त्र विभाग के शोध छात्र/छात्राओं को डॉ0 सेवा राम शर्मा फैलोशिप एवं विभाग में डॉ0 सेवा राम शर्मा की स्मृति में व्याख्यान श्रृंखला संस्थापित करने संबंधी प्रकरण परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

समाज शास्त्र विभाग के शोध छात्र/छात्राओं को डॉ0 सेवा राम शर्मा फैलोशिप एवं विभाग में डॉ0 सेवा राम शर्मा की स्मृति में व्याख्यान श्रृंखला संस्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 20:– दिनांक 31.08.2019 को मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त जो स्ववित्तपोषित छात्रावासों (निवेदिता हाल एवं कौटिल्य हाल) के समस्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी हैं, प्रकरण परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रकरण पर अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2000 के शासनादेश में स्पष्ट उल्लिखित है कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन आहरण पाठ्यक्रम की आय से ही किया जायेगा यदि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम की आय नहीं है तो उनमे कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, किन्तु उपरोक्त छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों को समय–समय पर तत्कालीन कुलपतियों द्वारा नियत वेतन/वेतनमान प्रदान किया गया। उपरोक्त से परिषद अवगत हुई तथा उपरोक्त छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान पूर्व की भॉति किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 21:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो मुलायम सिंह यादव लॉ कालेज, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित/संदर्भित विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2020–21 के लिये विस्तारण प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा मुलायम सिंह यादव लॉ कालेज, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित/संदर्भित विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की सहयुक्तता मात्र सत्र 2020–21 के लिये प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 22:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो इरम गर्ल्स डिग्री कालेज, इन्दिरा नगर, लखनऊ में पूर्व से संचालित एम0ए0–गृह विज्ञान एवं एम0कॉम0–व्यवहारिक अर्थशास्त्र में सत्र 2019–20 से प्रवेश प्रतिबन्धित एवं भविष्य में प्रवेश लिये जाने से पूर्व महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा पुनः विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रवेश लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा इरम गर्ल्स डिग्री कालेज, इन्दिरा नगर, लखनऊ में पूर्व से संचालित एम0ए0–गृह विज्ञान एवं एम0कॉम0– व्यवहारिक अर्थशास्त्र में सत्र 2019–20 से प्रवेश प्रतिबन्धित करने एवं भविष्य में प्रवेश लिये जाने से पूर्व महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा पुनः विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रवेश लिये जाने संबंधित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 23:– लखनऊ विश्वविद्यालय के ट्रांजिट हास्टल कम–गेस्ट हाउस में अतिथि गृह के किराये की दरों में संशोधन परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के ट्रांजिट हास्टल कम–गेस्ट हाउस में अतिथि गृह के किराये की संशोधित दरें जो कि संलग्नक 1 पर अवलोकनीय हैं पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

पूरक कार्यसूची

मद संख्या 01:– माननीय कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–4099/5–जी0एस0(68)/2011 (Misc)दिनांक 02.08.2019 द्वारा शारीरिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 मो0 तारिक की प्रवक्ता पद पर नियुक्ति नियमों के विरूद्व किये जाने संबंधी डॉ0 नीरज जैन, प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा विभाग के दिनांक रहित पत्र के संबंध में तत्कालीन कुलपति के आख्या उपलब्ध कराने संबंधी पत्रांक वी0सी0/954/2011 दिनांक 13.12.2011 के कम में आख्या सभी अभिलेखों एवं पत्रावली कार्यपरिषद के समक्ष विधि अनुसार निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया है।

शारीरिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2/2003 द्वारा पद को विज्ञापित किया गया था। उक्त विज्ञापित पद के सापेक्ष श्री मो0 तारिक ने आवेदन किया गया था। श्री मो0 तारिक द्वारा अपने आवेदन पत्र में निम्नवत् शैक्षिक अर्हता अंकित किया था:–

हाई स्कूल	1990	प्रथम श्रेणी	63 प्रतिशत
इण्टरमीडिएट	1992	द्वितीय श्रेणी	48 प्रतिशत
बी0पी0ई0	1995	द्वितीय श्रेणी	53.33 प्रतिशत
एम0पी0ई0	1997	द्वितीय श्रेणी	59.7 प्रतिशत
नेट	1997	(शारीरिक शिक्षा)	

श्री मो0 तारिक की नियुक्ति शारीरिक शिक्षा विभाग में चयन समिति की संस्तुति के कम में कार्यपरिषद के अनुमोदनोपरान्त पत्र संख्या 12717 दिनांक 01.07.2005 को हुई थी। जिस शैक्षिक अर्हता के आधार पर मो0 तारिक की नियुक्ति हुई थी तत्समय लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में शारीरिक शिक्षा विषय में नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता समावेशित नहीं था।

अतः उपरोक्त के आधार पर माननीय कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या ई–4099/5–जी0एस0 (68)/2011(Misc) दिनांक 02.08.2019 के परिपेक्ष्य में श्री मो0 तारिक की प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा विभाग के पद पर की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

Scanned by CamScanner

कार्य परिषद ने माननीय कुलाधिपति महोदया के अपर मुख्य सचिव के विषयगत पत्र दिनांक 02.08.2019 का अवलोकन किया तथा डॉ0 मो0 तारिक, सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्याल, लखनऊ की विश्वविद्यालय में नियुक्ति के प्रकरण की जॉच हेतु मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री डी0पी0 सिंह की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय जॉच समिति गठित करने का निर्णय लिया। समिति के अन्य दो सदस्यों के नामांकन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद को अधिकृत करने का भी निर्णय लिया गया।

मद संख्या 02:– विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 9028–36 दिनांक 13.05.2019 द्वारा डॉ0 रतन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला विभाग को संकायाध्यक्ष, ललित कला संकाय के पद पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 13.05.2019 अपरान्ह् से ललित कला विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 संजीव किशोर गौतम को संकायाध्यक्ष, ललित कला संकाय के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी।

2. उक्त नियुक्ति के विरूद्व डॉ0 रतन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 68 के अधीन माननीय कुलाधिपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, राजभवन, लखनऊ के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।

3. डॉ0 रतन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 68 के अधीन प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर माननीय कुलाधिपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, राजभवन, लखनऊ ने अपने आदेश संख्याः ई– 5895/जी0एस0 दिनांक 20.08.2019 द्वारा पारित आदेश के बिन्दु संख्या 05 एवं 06 निम्नवत् हैः–

बिन्दु संख्या 05 – विश्वविद्यालय द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि शासनादेश दिनांक 17.09.1999 द्वारा महाविद्यालय में प्राचार्य का पद समाप्त किया जा चुका है जिससे स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश को विश्वविद्यालय की परिनियमावली में समाहित करते हुए कला एवं शिल्प महाविद्यालय/संकाय के प्राचार्य का पद समाप्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः मात्र उक्त शासनादेश दिनांक 17.09.1999 के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–27(4) के प्रथम परन्तुक के प्रावधानों में प्राचार्य की व्यवस्था के होते हुए उक्त कला एवं शिल्प महाविद्यालय/ललित कला संकाय के प्राचार्य का पद समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा–27(4) के प्रावधान उत्तर प्रदेश की राज्य विधायिका द्वारा निर्मित अधिनियम के प्रावधान हैं जिन्हें किसी शासनादेश अथवा अधीनस्थ विधान द्वारा निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता है।

बिन्दु संख्या 06–उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत विश्वविद्यालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 13.05.2019 निरस्त किया जाता है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय ललित कला संकाय में संबंधित पक्षकारों के मध्य विद्यमान वरिष्ठता विवाद यदि कोई हो तो पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर परिनियमानुसार निस्तारित करने तथा उक्त कला एवं शिल्प महाविद्यालय/ललित कला संकाय के संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिये जाने हेतु कुलपति को निर्देशित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

4. ललित कला विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 रतन कुमार एवं डॉ0 संजीव किशोर गौतम के बीच वरिष्ठता के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त डॉ0 रतन कुमार ने यह भी अवगत कराया है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर नियक्ति प्रदान नहीं की गयी है।

5. उक्त सम्पूर्ण प्रकरण में तत्कालीन कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में संकायाध्यक्ष, विधि संकाय से अभिमत मांगा गया था।

6. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय ने दिनांक 19.10.2019 को निम्न अभिमत प्रेषित किया है :– संदर्भगत प्रकरण में उभय पक्षों डॉ0 रतन कुमार, एसोशिएट प्रोफेसर, एवं डॉ0 संजीव किशोर गौतम, एसोशिएट प्रोफेसर को कतिपय बिन्दुओं को चिन्हित करते हुए अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 30.09.2019 एवं 01.10.2019 की तिथि निर्धारित करते हुए पत्र प्रेषित किये गये। जिनके कम में डॉ0 संजीव किशोर गौतम दिनांक 01.10.2019 को स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए लिखित रूप से भी पत्र दिनांक 30.09.2019 प्रस्तुत किया। डॉ0 रतन कुमार द्वारा पत्र दिनांक 28.09.2019 प्रस्तुत किया गया जिसमें अपनी आख्या अथवा वांछित सूचनायें न देकर यह अंकित किया गया कि समस्त सूचनायें कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा कुलसचिव को पत्र प्रेषित कर इनकी जानकारी प्राप्त की गई तथा पुनः डॉ0 रतन कुमार को पत्र दिनांक 10.10.2019 द्वारा एक अवसर प्रदान करते हुए अपेक्षा की गई कि यदि उन्हें कुछ और कहना है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत करा सकते हैं किन्तु उनके द्वारा नियत तिथि तक कोई तथ्य/जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार डॉ0 रतन कुमार द्वारा अपने पक्ष में कोई भी तथ्य/सूचना न तो लिखित रूप से और न ही स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई।

अ. इस प्रकार डॉ0 रतन कुमार कभी प्राचार्य के पद पर चयन समिति द्वारा नियमानुसार चयनित हुए हैं, इस आशय का कोई तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

ब. यह पूर्णरूपेण जानते हुए कि डॉ0 रतन कुमार प्राचार्य नहीं हैं। उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–68 में माननीया कुलाधिपति जी को जानबूझकर गलत इरादे से प्राचार्य पद का दावा कर रहे थे।

स. मा0 कुलाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 20.08.2019 के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों, उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधानों व शासनादेशों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त उक्त संदर्भगत प्रकरण में निम्नवत् दो स्थितियां स्पष्ट हुई।

"यह कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित कला संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय का प्राचार्य पदेन संकायाध्यक्ष होंगा। उल्लेखनीय है कि प्राचार्य की नियुक्ति की एक विहित प्रकिया है और विहित प्रकियानुसार चयनित व्यक्ति ही प्राचार्य पद पर नियुक्त किया जाता है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के उपरोक्त दोनों शिक्षक डॉ0 रतन कुमार एवं डॉ0 संजीव किशोर गौतम, एसोशिएट प्रोफेसर हैं जिनकी नियुक्ति शिक्षक पदों पर ही हुई है, प्राचार्य के पद पर नहीं हुई है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित कला संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु न तो विज्ञापन किये गये हैं और न ही चयन सम्बन्धी कोई प्रकिया की गई है तथा डॉ0 रतन कुमार एवं डॉ0 संजीव किशोर गौतम दोनों में से किसी ने प्राचार्य की चयन प्रकिया में कभी प्रतिभाग नहीं किया है और न ही कोई प्राचार्य के पद पर कभी नियुक्त हुआ है।"

Scanned by CamScanner

क. कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित कला संकाय में कोई प्राचार्य नहीं होने की स्थिति में संकायाध्यक्ष का पद पदेन न होकर कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित कला संकाय के शिक्षकों के मध्य से किसी शिक्षक को संकायाध्यक्ष का उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा इसके लिए उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा–27(4) में प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की गई है :–

"there shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen from amongst the Professor by rotation in order to seniority and shall hold office for 3 years.

(Proveded that in case of a Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Arts college, the Principal of such College shall be the ex-officio Dean of Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Art's Faculty as the case may be.)**

ख. उक्त प्राविधान के अन्तर्गत डॉ0 रतन कुमार को कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित कला संकाय के संकायाध्यक्ष के पद पर दिनांक 13.05.2016 से तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया और डॉ0 रतन कुमार को तीन वर्ष के कार्यकाल की समयावधि दिनांक 13.05.2019 के अपरान्ह को पूरी हो गयी। विधि अनुसार इसके पश्चात वे संकायाध्यक्ष नहीं रह सकते हैं।

ग. डॉ0 रतन कुमार के संकायाध्यक्ष के रूप में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा–27(4) के प्राविधानानुसार तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा–27(4) के प्राविधानुसार चक्रानुक्रम में विभाग में डॉ0 रतन कुमार से कनिष्ठ एसोशिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 संजीव किशोर गौतम को संकायाध्यक्ष के पद पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया।

घ. उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा–27 (4)(1) के परन्तुक में निर्धारित प्राविधान के अनुसार प्राचार्य ही पदेन संकायाध्यक्ष होगा किन्तु प्राचार्य नियुक्त न होने की स्थिति में संकायाध्यक्ष अधिनियम के प्राविधानानुसार शिक्षकों में से रोटेशन से नियुक्त किया जायेगा। मा0 कुलाधिपति महोदय के आदेश में उल्लिखित प्राचार्य पद की उपलब्धता के सम्बन्ध में यह तथ्य स्वीकार्य है कि प्राचार्य के पद की उपलब्धता है किन्तु इस पद पर उक्त दोनों शिक्षकों में से अथवा किसी अन्य की नियुक्ति/तैनाती प्राचार्य के पद पर नहीं हुई है इस प्रकार कोई भी प्राचार्य नहीं है।

डॉ0 रतन कुमार एवं डॉ0 संजीव कुमार गौतम दोनों में से किसी का भी चयन कभी भी प्राचार्य पद पर नहीं हुआ है, स्पष्ट है कि इनके मध्य इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है। एसोशिएट प्रोफेसर के पद पर दोनों के मध्य कोई विवाद नहीं है। संकायाध्यक्ष के पद पर नियत तीन वर्ष का कार्यकाल डॉ0 रतन कुमार ने पूरा कर लिया है जो एक चक्रानुक्रम की अधिकतम निर्धारित अवधि है इससे अधिक का विधान नहीं है। इसलिए यह पद संकाय के चक्रानुक्रम के दूसरे एसोशिएट प्रोफेसर के पास जायेगा। इस क्रम में डॉ0 संजीव किशोर गौतम आते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मा0 कुलाधिपति महोदय के आदेशानुपालन में उक्त सीमा तक तथ्यों को अंकित करते हुए मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण को निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जा सकता है।

7. माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 22.08.2019 के विरूद्व डॉ0 संजीव किशोर गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 25588/2019 योजित किया गया था, जो मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन

Scanned by CamScanner

है। इसके अतिरिक्त यह भी सूच्य है कि ललित कला विभाग, कला एवं शिल्प महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संकायाध्यक्ष, ललित कला संकाय के पद पर नियुक्ति हेतु आपस में झगड़ा करते रहते हैं और डॉ0 रतन कुमार एवं अन्य शिक्षकों द्वारा आये दिन कक्षाऐं न लेने हेतु डॉ0 संजीव किशोर गौतम द्वारा समय समय पर शिकायत की जाती रही है।

अतः माननीय कुलाधिपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, राजभवन, लखनऊ के आदेश दिनांक 20.08.2019 एवं संकायाध्यक्ष, विधि संकाय से प्राप्त आख्या को दृष्टिगत ललित कला संकाय के संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति सम्बन्धित प्रकरण मा0 परिषद के अवलोकनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

उक्त प्रकरण पर परिषद ने माननीय कुलाधिपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, राजभवन, लखनऊ के आदेश दिनांक 20.08.2019 को अवलोकित किया। अवलोकनोपरान्त परिषद माननीय कुलाधिपति के आदेश दिनांक 20.08.2019 में वर्णित तथ्यों के आधार पर यदि डॉ0 रतन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला विभाग के विरूद्व किसी प्रकार की जॉच/विवाद प्रचलित नहीं होने की स्थिति में डॉ0 रतन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला विभाग को ललित कला संकाय के प्रधानाचार्य/संकायाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किये जाने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया।

मद संख्या 03:– लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 18.05(सी)(डी) में वर्णित व्यवस्था के अर्न्तगत निम्नांकित शिक्षकों की वरिष्ठता सम्बन्धित विभाग में कॉलम 06 में अंकित तिथि से निर्धारित करने हेतु प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

नाम	पद नाम	विभाग का नाम	पूर्व संस्थान का नाम	उक्त संस्थान में कार्यरत अवधि	विभाग में निर्धारित करने हेतु वरिष्ठता दिनांक
डॉ0 अर्चना वर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	समाज शास्त्र विभाग	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय राजाजीपुरम, लखनऊ	दिनाक 22.09.2008 से 12.07 2016 तक प्रवक्ता/असिस्टेंट प्रोफेसर	कुल सेवा अवधि 07 वर्ष 09 माह 20 दिन की आधी सेवा अवधि 03 वर्ष 10 माह 25 दिन अर्थात 17.08.2012
डॉ0 नागेन्द्र कुमार मौर्या	असिस्टेंट प्रोफेसर	व्यवहारिक अर्थशास्त्र	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली तथा गिरि विकास अध्ययन सस्थान, अलीगज,	दिनाक 15.10.2008 से 14.12.2012 तक प्रवक्ता / असिस्टेंट प्रोफेसर तथा दिनाक 15.12.2012 से दिनाक 14.06 2016 तक फैलो	दिनाक 15.08.2008 से
डॉ0 अमृतेश चन्द्र शुक्ल	प्रोफेसर	वनस्पति विज्ञान विभाग	मिजोरम विश्वविद्यालय मिजोरम	दिनाक 06.07.2012 से 18.08.2016 तक प्रोफेसर	दिनाक 06.07.2012 से
डॉ0 अमित त्रिपाठी	असिस्टेंट प्रोफेसर	जन्तु विज्ञान	राजीव गॉधी विश्वविद्यालय इटानगर, अरूणाचल प्रदेश	दिनाक 25.09.2008 से 28.03.2016 तक प्रवक्ता/असिस्टेंट प्रोफेसर	दिनाक 25.09.2008 से

परिषद द्वारा उपरोक्त सभी शिक्षकों द्वारा सम्बन्धित संस्थानों में की गई नियमित सेवाओं को लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा के साथ आगणित किये जाने के प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 04:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो समन्वयक, इन्स्टीट्यूट आफ फूड प्रोसेसिंग एण्ड फूड टैकनोलॉजी, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम, में कार्यरत शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 15.07.2015 में वर्णित प्राविधानानुसार अनुबन्ध विस्तार पर विचार करने सम्बन्धी प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

इन्स्टीट्यूट आफ फूड प्रोसेसिंग एण्ड फूड टैकनोलॉजी, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम, में कार्यरत शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 15.07.2015 में वर्णित प्राविधानानुसार अनुबन्ध विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर विचारोपरान्त कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुबन्ध विस्तारण पर स्वीकृति प्रदान की।

Sushukla

Scanned by CamScanner

मद संख्या 05:= कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो श्री पंचदेवऋषि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 07.06.2016 को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के विधि विभाग में चयन समिति की संस्तुति एवं syndicate कमेटी के अनुमोदनोपरान्त असिस्टेंट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 01.10.2013 से 06.06.2016 तक कार्यरत थे। परिनियम 18.05 (c) में वर्णित प्राविधानानुसार डॉ0 शर्मा की सेवायें दिनांक 01.10.2013 से विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वरिष्ठता निर्धारण करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत।

श्री पंचदेवऋषि शर्मा, द्वारा दिनांक 07.06.2016 को लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के विधि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 01.10.2013 से 06.06.2016 तक की गयी नियमित सेवाओं को लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा के साथ आगणित करने संबंधी प्रस्ताव पर परिनियम 18.05 (c) में वर्णित प्राविधानानुसार डॉ0 शर्मा की सेवायें दिनांक 01.10.2013 से विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा के साथ आगणित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 06:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो प्रो0 सुधीर कुमार अग्रवाल, जीव रसायन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2013 में शिक्षक सम्मान से अलंकृत किये जाने के पश्चात परिनियमन 15.24 के परन्तुक में वर्णित प्राविधानार्न्गत प्रो0 अग्रवाल को दिनांक 01.02.2020 को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत।

प्रो0 सुधीर कुमार अग्रवाल, जीव रसायन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2013 में शिक्षक सम्मान से अलंकृत किये जाने के पश्चात परिनियमन 15.24 के परन्तुक में वर्णित प्राविधानार्न्गत प्रो0 अग्रवाल को दिनांक 01.02.2020 को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्य परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 07:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो प्रो0 ओमकार, जन्तु विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2017 में सरस्वती सम्मान से अलंकृत किये जाने के पश्चात परिनियमन 15.24 के परन्तुक में वर्णित प्राविधानार्न्गत प्रो0 ओमकार को दिनांक 14.01.2020 को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत।

प्रो0 ओमकार, जन्तु विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2017 में सरस्वती सम्मान से अलंकृत किये जाने के पश्चात परिनियमन 15.24 के परन्तुक में वर्णित प्राविधानार्न्गत प्रो0 ओमकार को दिनांक 14.01.2020 को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्य परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 08:– परीक्षा नियन्त्रक लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र के साथ संलग्न कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्याःई 7554/जी0एस0 दिनांक 14.10.2019 जो श्री बी0 सिंह "जनमित्र" से सम्बन्धित है परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

उक्त प्रकरण पर अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा सदन को संक्षिप्त सारांश से अवगत कराया गया जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा व्यापक विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण की जॉच हेतु जॉच समिति बनाने का निर्णय लिया गया तथा जॉच अधिकारी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री आलोक को नामित करते हुए संबंधित विषय का व्यक्ति नामित करने हेतु मा0 कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद को अधिकृत किया गया।

मद संख्या 09:– कुलसचिव कार्यालय के पत्र संख्याः पी 26721–24 दिनांक 22.11.2019 जिसके द्वारा श्रीमती डॉ0 अर्चना सिंह, रिसर्च कम ट्रेनिंग आफीसर (अनानुमोदित वेतनमान) प्रबन्ध विज्ञान संस्थान के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश संख्याः पी 20384 दिनांक 30.08.2019 को अवक्रमित करते हुए सातवें वेतनमान का लाभ देते हुए पूर्व शर्तो के अधीन पूर्ववत् कार्य करते रहने की अनुमति सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख सूचनार्थ प्रस्तुत।

कुलसचिव कार्यालय के पत्र संख्याः पी 26721–24 दिनांक 22.11.2019 जिसके द्वारा श्रीमती डॉ0 अर्चना सिंह, रिसर्च कम ट्रेनिंग आफीसर (अनानुमोदित वेतनमान) प्रबन्ध विज्ञान संस्थान के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश संख्याः पी 20384 दिनांक 30.08.2019 को अवक्रमित करते हुए सातवें वेतनमान का लाभ देते हुए पूर्व शर्तो के अधीन पूर्ववत् कार्य करते रहने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रकरण पर सदन द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय का अनुपालन न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई, तथा भविष्य में कार्य परिषद के निर्णयों का समयान्तर्गत अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

मद संख्या 10:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो प्रबन्धक, मुलायम सिंह यादव बेंती, सरोजनी नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 12.10.2019 द्वारा कालेज का नाम मुलायम सिंह यादव, लॉ कालेज, बेंती, सरोजनी नगर, लखनऊ से परिवर्तित कर "हीरालाल लॉ कालेज, सरोजनी नगर, लखनऊ" करने हेतु कार्यवाही किये जाने से संबंधित है। तत्क्रम में महाविद्यालय की भूमि व बैंक आदि के अभिलेखों में तद्नुसार नाम परिवर्तन करने की शर्तो के अधीन महाविद्यालय के प्रस्तावानुसार मुलायम सिंह यादव, लॉ कालेज, बेंती, सरोजनी नगर, लखनऊ" का नाम परिवर्तित कर" हीरालाल लॉ कालेज, सरोजनी नगर, लखनऊ" किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रबन्धक, मुलायम सिंह यादव बेंती, सरोजनी नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 12.10.2019 द्वारा कालेज का नाम मुलायम सिंह यादव,लॉ कालेज, बेंती, सरोजनी नगर, लखनऊ से परिवर्तित कर "हीरालाल लॉ कालेज, सरोजनी नगर, लखनऊ" करने तथा तत्क्रम में महाविद्यालय की भूमि व बैंक आदि के अभिलेखों में तद्नुसार नाम परिवर्तन करने की शर्तो के अधीन प्रस्तावानुसार मुलायम सिंह यादव, लॉ कालेज, बेंती, सरोजनी नगर, लखनऊ" का नाम परिवर्तित कर "हीरालाल लॉ कालेज, सरोजनी नगर,

Scanned by CamScanner

लखनऊ" किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973, (यथा संशोधित) की धारा 31(3)(ग)(घ) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित शिक्षकों के पैनल में से लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों के चयन हेतु विषय विशेषज्ञों के नाम नामित करने हेतु विश्वविद्यालय/राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर की विभागवार/विषयवार सूची आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया।

मद संख्या 11:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पत्र जो लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ INDIAN INSTITUTE OF SUGAR CANE RESEARCH के मध्य MOU (Memorandum of Understanding) के लिए MOU का प्रारूप परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद ने संदर्भगत मद में अंकित MOU (Memorandum of Understanding) को निष्पादित करने स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि विश्वविद्यालय पर उक्त MOU (Memorandum of Understanding) से कोई वित्तीय व्यय–भार नहीं आये। MOU पर हस्ताक्षर करने के पूर्व उक्त शर्त का वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से परीक्षण करा लिया जाय।

मद संख्या 12:– परिषद द्वारा प्रो0 सुधीर कुमार के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक राय परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्त प्रकरण कार्य परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 13:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो विभागाध्यक्ष, समाज कार्य विभाग के पत्र संख्याः–एस0डब्लू–255/48/19 दिनांक 22.08.2019 के क्रम में विभाग में रिक्त फील्ड वर्क सुपरवाइजर के 03 पद एवं फील्ड वर्क आर्गनाइजर के रिक्त 01 पद को विज्ञापित किये जाने एवं पद की शैक्षिक अर्हता के अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा प्रकरण शासनादेश में निहित प्राविधानार्न्तगत शैक्षिक अर्हताओं का परीक्षण/अनुपालन करने के उपरान्त फील्ड वर्क आर्गनाइजर हेतु निम्नवत अंकित अर्हताओंः–

M.A. in Social Work/MSW with 55 percent marks. Preferential NET/Ph.D, Experience of upkeep of the records and correspondence. एवं प्राविधानित आरक्षण नियमों के साथ पदों का विज्ञापन कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

मद संख्या 14:– लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपियन भाषा विभाग के मौलिक पद पर कार्यरत डॉ0 फातिमा रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 रिजवी को मौलिक पद पर स्थायीकरण दिनांक 12.08.2017 से अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव

Scanned by CamScanner

परिषद कें सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपियन भाषा विभाग के मौलिक पद पर कार्यरत डॉ0 फातिमा रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 रिजवी को मौलिक पद पर दिनांक 12.08.2017 से स्थायीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 15:– श्री संदीप कुमार अवस्थी को तृतीय श्रेणी कर्मचारी का पदनाम एवं अन्य सुविधाए प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव परिषद कें सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद जो विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी हैं, की बैठक दिनांक 28.11.2019 के समक्ष उच्च शिक्षा अनुभाग–4 ,उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 09.11.2017, कार्य परिषद के निर्णय दिनांक 11.07.2016 व 07.11.2016 तथा शासन के पत्र दिनांक 19.06.2017 तथा फरवरी 2019 एवं विधिक परामर्श दिनांक 29.09.2016 प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद (शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी) द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, सम्यक चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि "श्री संदीप कुमार अवस्थी की योग्यता, कार्य अनुभव तथा उपलब्ध रिक्ति व विधिक राय दिनांक 29.09.2016 तथा उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग–4 द्वारा निर्गत पत्र सं0 849 दिनांक 19.06.2017 एवं सं0 1906 दिनांक फरवरी 2019 तथा इस तथ्य की उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथासंशोधित) की धारा 66 (ए) जैसा कि उधृत हैं – राज्य सरकार इस अधिनियम के प्राविधानों से असंगत न होते हुये नीतिगत मामलों पर समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगें जिन्हें वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जायेगा के दृष्टिगत श्री संदीप कुमार अवस्थी को शिक्षा शास्त्र विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक वेतनमान रु0 5200–20200,ग्रेड पे –2000/– के पद पर विनियमित किये जाने का निर्णय लिया तथा पूर्व में वेतनमान रु0 5200–20200 ग्रेड पे–1800/– के पद पर इनके विनियमित किये जाने के आदेश को भी निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 4845/2010 श्री संदीप कुमार अवस्थी द्वारा वापस लिये जाने की वचनबद्धता दिये जाने पर विनियमितीकरण प्रभावी होगा तथा स्थायीकरण के पूर्व श्री अवस्थी मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में स्वयं द्वारा योजित याचिका सं0 4845/2010 को वापस लेकर मा0 न्यायालय के निर्णय की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें। "

मद संख्या 16:– विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 26.11.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त परिषद कें सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति दिनांक 26.11.2019 की कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए उस पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 17:– श्री विनोद कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक, कुलसचिव कार्यालय को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के अर्न्तगत अनुमन्य उच्चीकरण ग्रेड–पे प्रदान किये जाने के संबंध में ए0सी0पी0 समिति की संस्तुति परिषद कें सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा श्री विनोद कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक कुलसचिव कार्यालय को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अर्न्तगत अनुमन्य उच्चीकरण ग्रेड–पे प्रदान किये जाने संबंधी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन समिति की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 18:– लखनऊ विश्वविद्यालय के केन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा वित्त अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की गयी बिन्दुवार आख्या कार्य परिषद के सम्मुख सूचनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः–

लखनऊ विश्वविद्यालय के केन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा वित्त अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की गयी बिन्दुवार आख्या पर कार्य परिषद द्वारा बिन्दुवार निम्नवत निर्णय लिया गयाः–

पी0एन0बी0 हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निवेशित 10 करोड़ रूपये की धनराशि परिपक्वता तिथि से पूर्ण आहरित करते हुए अन्यत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर मा0 कार्य परिषद के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम मूल धन को तत्काल प्रभाव से सुरक्षित रखा जाए और इस हेतु तत्काल उक्त धन को आहरित कर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित किया जाए।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूको बैंक में खुले परीक्षा निधि खाता सं0–00600200000149 से 14 कूटरचित चेक के माध्यम से कपटपूर्ण भुगतान जिसकी कुल धनराशि 1,39,78,067/–का प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष रखा गया, विस्तृत रूप से घटनाक्रम बताया गया। इस पर मा0 कार्य परिषद के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूँकि विश्वविद्यालय में दोहरी लेखा प्रणाली लागू कर दी गई है जिसका लेखांकन का कार्य तकनीकी प्रकृति का है। विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में नियुक्त कर्मचारी इससे भिज्ञ नहीं है। इसे सुचारू रूप से संपादन के लिए तकनीकी विशेषज्ञ एवं दक्ष फर्म/लोगों की आवश्यकता है। अतएव तात्कालिक रूप से लेखांकन तथा लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करने व आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य दक्ष सनदी लेखाकार व राज्य सरकार के वित्त विशेषज्ञ के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाए।

मा0 कार्य परिषद ने उक्त प्रकरण की जॉच हेतु गठित समिति की अन्तरिम रिपोर्ट को भी संज्ञानित किया तथा उसकी प्रगति से भी अवगत कराने का निर्देश दिया ।

मा0 कुलपति/अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

मद संख्या 01:– मा0 कार्य परिषद सदस्य श्री अनिल सिंह द्वारा कुलसचिव कार्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्री विनय कुमार श्रीवास्तव के अन्यत्र विभाग में किये गये विनियमितीकरण पर आपत्ति दर्ज कराई गई जिस पर परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री श्रीवास्तव के विनियमितीकरण आदेश दिनांक 05.06.2018 को संशोधित करते हुए

Scanned by CamScanner

कुलसचिव कार्यालय में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया । अध्यक्ष कार्य परिषद ने परिषद के इस निर्णय का अनुपालन तीन कार्य दिवसों में सुनिश्चित करने हेतु उपकुलसचिव (शिक्षणेत्तर) को निर्देशित किया।

मद संख्या 02:– कार्य परिषद के माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में जिन शोधार्थियों का पीएच0डी0 साक्षात्कार नहीं किया गया है उनके साक्षात्कार तत्काल कराये जाने हेतु अपना अभिमत परिषद के समक्ष रखा जिस पर अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा सदन को यह आश्वस्त किया गया कि जिन शोधार्थियों का साक्षात्कार नहीं हुआ है उनको जल्द ही करा लिया जायेगा तत्समय अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में श्री शोभित शुक्ला की पीएच0डी0 साक्षात्कार (**Viva**) कराये जाने से संबंधित प्रकरण जो कि लगभग 1 वर्ष 06 माह से प्रचलित है, संज्ञान में आया है। जिसमे अभ्यर्थी ने थीसिस जमा कर दी है परन्तु प्रो0 बृजेन्द्र सिंह की आपत्ति के कारण अभी तक वाइवा परीक्षक नियुक्त नही किया गया है। इस प्रकरण में प्रो0 आर0आर0सिंह को जॉच अधिकारी नामित किया गया था जिनके द्वारा असहमति व्यक्त की गई। पुनः तत्कालीन कुलपति के निर्देशानुसार जॉच अधिकारी के विषय में इस टिप्पणी के साथ पत्रावली उन्हें भेजी गई। डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 2218 दिनांक 18.03.2019 उनके द्वारा स्वीकृत पत्रावली वापस की गई इससे स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि उन्होंने क्या स्वीकृत किया है। इन कारणों से प्रकरण को कार्य परिषद के समक्ष सूचित किया जा रहा है जो सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मा0 सदस्य प्रो0 बृजेन्द्र सिंह द्वारा सम्बन्धित छात्र के पीएच0डी0 साक्षात्कार कराये जाने के सम्बन्ध में अभिकथन कि यू0जी0सी0 की गाइड लाइन एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार पीएच0डी0 उपाधि हेतु नियमित छात्र होना आवश्यक है, श्री शोभित शुक्ला अपने शोध कार्य पूर्ण करने के उपरान्त राष्ट्रकृत बैंक में गोण्डा जिले में पी0ओ0 के पद पर कार्यरत रहें है, डॉ शकुन्तला मिश्रा, पुनर्वास विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति प्रवक्ता पद पर हुई, श्री शोभित का शोध पंजीकरण विभागीय शोध समिति द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसका अनुमोदन संकाय परिषद से भी किया गया था, डॉ शकुन्तला मिश्रा, पुनर्वास विश्वविद्यालय में पीएच0डी0 हेतु रजिस्ट्रेशन कराया गया है आदि किए गये।

प्रकरण पर सदन में चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि कम्प्यूटर विज्ञान विभाग की विभागीय शोध समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 24.04.2017 का यह कथन आया कि शोध कार्य हेतु पंजीकरण अध्ययन मण्डल/कुलपति की अनुमति के उपरान्त संस्तुत किया गया था जिस निर्णय में माननीय सदस्य प्रो0 बृजेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे तथा तत्समय उनकी कोई आपत्ति नहीं थी। डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या 2218 दिनांक 18 मार्च, 2019 जो कि प्रो0 बृजेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य को सम्बोधित है, का भी विषय आया गया जिसमें उल्लखित किया गया है कि 'श्री शोभित शुक्ला द्वारा डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में कोर्स वर्क की परीक्षा भी नहीं दी गई है। इस प्रकार श्री शोभित शुक्ला वर्तमान में

Scanned by CamScanner

मात्र लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से पीएच0डी0 कोर्स में अध्ययनरत हैं।

उक्त प्रकरण पर सम्यक चर्चाउपरान्त कार्य परिषद ने समग्र विचारोपरान्त छात्र हित को देखते हुए उपरोक्त क्रम में कार्य परिषद ने बहुमत से श्री शोभित शुक्ला का पीएच0डी0 साक्षात्कार (Viva) कराये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 03:– लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षकों के ग्रेड–पे परिवर्तन (8000–9000) के संबंध में लम्बित प्रकरणों पर विचार करना।

अध्यक्ष, कार्य परिषद द्वारा संक्षेप में प्रकरण के सम्बन्ध में कार्य परिषद को अवगत कराया गया। कार्य परिषद ने शिक्षक संघ के प्रत्यावेदन का भी संज्ञान लिया तथा दिनांक 11.10.2017, 22.11.2006 के शासनादेशों तथा तद्नुसार लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिनियमों के आलोक में निर्णय लिया कि अर्ह शिक्षकों को रु0 8000 से रु0 9000 ग्रेड पे नियमानुसार प्रक्रियानुसार शीघ्र स्वीकृत की जाये तथा शासन/राजभवन स्तर पर यदि कोई कार्यवाही लम्बित है तो उसका यथाशीघ्र निस्तारण करने हेतु पुनः सम्बन्धितों से अनुरोध कर इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही सम्पन्न की जाये, ताकि शिक्षको को समयानुसार उनके देय (Dues) मिल सकें।

मद संख्या 04:– मा0 कार्य परिषद सदस्य प्रो0 पद्मकान्त, रसायन विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 28.11.2019 उनकी सेवानिवृत्त तिथि है तथा आज उनकी अन्तिम कार्य परिषद बैठक है उन्होंने अपने कार्यकाल में सदन के सदस्यों से प्राप्त सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया जिस पर सदन के समस्त सदस्यों द्वारा प्रो0 पद्मकान्त के कार्यकाल में प्राप्त उनके अमूल्य/कार्यो हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया शुभकामाना प्रदान की गयी।

मद संख्या 05:– मा0 कार्य परिषद सदस्य डॉ0 विनीता प्रकाश द्वारा आई0टी0 कालेज के संबंध में पूर्व में सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम माननीय कुलाधिपति महोदया के आदेश दिनांक 28.05.2019 के अनुपालन का प्रकरण परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त कार्य परिषद द्वारा संदर्भित पाठ्यक्रमों (एम0ए0 अर्थशास्त्र, एम0एस0सी0 बॉयोटेक्नालॉजी एवं रसायन विज्ञान) की सहयुक्तता 2019–20 के लिये प्रदान किये जाने तथा बी0काम0 पाठ्यक्रम में पूर्व की भॉति 320 सीटों पर 2019–20 के लिये गये प्रवेशों पर तथा सहयुक्ततानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आई0टी0 कालेज द्वारा मानकानुसार उक्त पाठ्यक्रमों में शिक्षक आदि की कमियों को 30 जून, 2020 तक यथासम्भव पूर्ण कर सहयुक्तता सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

Ashulele

Scanned by CamScanner

मद संख्या 06:– परिषद द्वारा दिनांक 11.08.2017 को सम्पन्न लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में अध्यक्ष, कार्य परिषद की अनुमति से प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य मदों के अर्न्तगत मद संख्या 06 पर परिषद द्वारा सभागार, सभागार लॉन एवं क्रीडांगन को शैक्षिक कार्यक्रमों आदि आवंटन करने हेतु शुल्क दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया था जिस पर कार्य परिषद के समस्त मा0 सदस्यों द्वारा घोर आपत्ति दर्ज करायी गयी। सदन द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु मालवीय सभागार, ए0पी0सेन0 हाल एवं प्रो0 हरि कृष्ण अवस्थी सभागार आदि में विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा साथा ही यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित सभागार की साज–सज्जा एवं साफ–सफाई का दायित्व आयोजक का होगा। विशेष परिस्थितयों में अन्य प्रकार के कार्यक्रमों हेतु निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति देने हेतु कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 07:– लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रत्यावेदन दिनांक 26.11.2019 जो प्रो0 एस0पी0 सिंह, पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के तीन वर्षीय कार्यकाल के विभिन्न कार्यों की जॉच करने से सम्बन्धित हैं, पर परिषद द्वारा निर्णय लिया जाना।

कार्य परिषद सदस्यों ने पूर्व कुलपति प्रो0 एस0पी0 सिंह, के कार्यकाल में हुई वित्तीय,प्रशासनिक,शैक्षिक निर्माण कार्यो,नियुक्तियों, फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय इत्यादि में हुई अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रो0 एस0पी0 सिंह, पूर्व कुलपति के कार्यकाल में हुई वित्तीय,प्रशासनिक,शैक्षिक निर्माण कार्यो,नियुक्तियों, फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय इत्यादि में हुई अनियमितताओं की जॉच कराया जाना विश्वविद्यालय तथा छात्र हित में आवश्यक समझते हुए कार्य परिषद ने कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ को प्रो0 एस0पी0 सिंह के विरुद्व जॉच समिति गठित करने तथा जॉच हेतु जॉच बिन्दुओं के निर्धारण करने हेतु कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 08:– प्रो0 दिनेश शर्मा, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग(मा0 उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार) के अवैतनिक विशेष अवकाश विषयक निर्गत पत्र सं0 आर/1268/2019 दिनांक 30.08.2019, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय के पत्रांक–टी–37878/टीचिंग/2017 दिनांक 27.05.2017 द्वारा दिनांक 01.06.2017 से 30.11.2019 तक स्वीकृत किये गये वेतनरहित असाधारण अवकाश के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अन्तर्गत 01.12.2019 से उपमुख्यमंत्री अथवा सदस्य विधान परिषद पद धारित करने तक विशेष अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई । उपरोक्त अवकाश की अवधि में परिनियमों की व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय द्वारा

Scanned by CamScanner

वेतन तथा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगे, किन्तु अवकाश की अवधि में वेतन वृद्वियॉ जो नियमित कार्य करने पर देय होगी तथा पारस्परिक ज्येष्ठता प्रभावित नहीं होगी। विशेष अवकाश की अधिकतम अवधि परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी, परिषद के सम्मुख सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 09:– परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में शैक्षणिक कार्यो के सम्बन्ध में ठहरने वाले शिक्षकों से शासन द्वारा स्वीकृत दैनिक भत्ते के समतुल्य कमरों का किराया लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

विद्यानन्द त्रिपाठी
प्रभारी कुलसचिव/सचिव

शैलेश कुमार शुक्ल
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

संख्या.....
दिनाँक.....

शुद्धि पत्र

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.11.2019 की पूरक कार्यसूची के विनिश्चय सं0 13 को निम्नवत संशोधनों को संशोधित करते हुये पढा जाये।

"परिषद द्वारा प्रकरण शासनादेश में निहित प्राविधानान्तर्गत शैक्षिक अर्हताओं का परीक्षण/अनुपालन करने के उपरान्त फील्ड वर्क आर्गनाइजर हेतु निम्नवत अंकित अर्हताओं **M.A. in Social Work/MSW with 55 percent marks. Preferential NET/Ph.D, Experience of upkeep of the records and correspondence.** एवं प्राविधानित आरक्षण नियमों के साथ पदों का विज्ञापन कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

फील्ड वर्क सुपरवाइजर हेतु **M.A. in Social Work/MSW with 55 percent marks.Minimum 50 percent marks at UG level, Net/Ph.D.** को सम्मिलित करते हुये पढ़ा जाये।"

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
प्रभारी कुलसचिव/सचिव

(एस0के0 शुक्ल)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned by CamScanner